



Neutral Citation No. - 2026:AHC:19859

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - A संख्या – 1169/2026

रतन वीर सिंह और 6 अन्य.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता:नीरज श्रीवास्तव, विजय कुमार

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री नीरज श्रीवास्तव और राज्य सरकार के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि वे मौसमी संग्रह चपरासी (Seasonal Collection Peons) हैं, जिनकी नियुक्ति क्रमशः 17.06.1989, 06.01.1992, 10.06.1996, 01.06.1997, 04.08.2000, 25.06.1992 और 01.08.1996 को हुई थी; और वरिष्ठता सूची में उनके नाम क्रमशः क्रमांक 24, 14, 19, 26, 4, 11 और 25 पर अंकित हैं। रिट याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि उनकी सेवाओं के नियमितीकरण/समायोजन के उद्देश्य से एक बैठक आयोजित की गई थी।
3. प्रस्तुत रिट याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को यह निर्देश दिया जाए कि वे रिट याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित करें, क्योंकि रिट याचिकाकर्ताओं से कनिष्ठ कर्मचारियों की सेवाएँ पहले ही नियमित की जा चुकी हैं।
4. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि रिट याचिकाकर्ताओं के दावे पर सर्वप्रथम प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा निर्णय (अधिनिर्णयन) किया जाना आवश्यक है।
5. न्यायालय में की गई दलीलों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता, प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे, जिसके साथ रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न हो; प्रतिवादी संख्या 2 उक्त अभ्यावेदन पर, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, कानून के पूर्णतः अनुरूप रहते हुए रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



29 जनवरी, 2026

एन.एस. राठौर

Translated version. Not for Legal Use.

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”